पत्र सं०–6 एस०एस०(6) 03/2016–3171/

बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

प्रेषक,

मधुरानी ठाकुर,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, (ले० एवं हक०) बिहार
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना–15, दिनांक–26/ 9 /2017.

XX
अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

XX

द्वारा:– **आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।**

विषय:– **वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल ₹ 360.06 लाख (₹ तीन करोड़ साठ लाख छः हजार) मात्र की अनुमानित लागत व्यय पर राज्य स्कीम के तहत पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य के अन्तर्गत** Female Calves **(बाछी/पाड़ी) में** Brucellosis **रोग से बचाव हेतु निःशुल्क** Brucellosis **टीकाकरण से टीकाकृत करने की योजना की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल ₹ 360.06 लाख (₹ तीन करोड़ साठ लाख छः हजार) मात्र की अनुमानित लागत व्यय पर राज्य स्कीम के तहत पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य के अन्तर्गत Female Calves (बाछी/पाड़ी) में Brucellosis रोग से बचाव हेतु निःशुल्क Brucellosis टीकाकरण से टीकाकृत करने की योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है (योजना का विस्तृत व्यय विवरणी संलग्न)।

2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों/ पशुपालकों के मादा पशुओं (गाय/ भैंस) के गर्भावस्था के समय Brucellosis रोग से ग्रसित होने के फलस्वरूप बार–बार गर्भपात होने से बचाने हेतु Female Calves (बाछी/पाड़ी) को इस टीका से टीकाकृत करना है ताकि पशुपालकों/ किसानों को होने वाले आर्थिक क्षति से उन्हें बचाया जा सके।

3. वित्तीय वर्ष 2017–18 में इस योजना के तहत होने वाले व्यय का विकलन मुख्य शीर्ष–2403 –पशुपालन–उपमुख्य शीर्ष–00 –लघु शीर्ष–101 –पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु–स्वास्थ्य, मांग सं०–02 –उपशीर्ष–0101 –अस्पताल औषधालय तथा अन्यान्य स्थापना, विपत्र कोड–02-2403001010101 के तहत विभिन्न विषय शीर्षों में प्रथम अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से विकलनीय होगा।

4. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/ निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना/सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार होंगे। निदेशक, पशुपालन इसके सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी भी होंगे।

5. चूँकि यह नई योजना है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प–3758/वि०, दिनांक–31.05.2017 में सन्निहित प्रावधान एवं योजना लागत मूल्य के अनुसार प्रत्यायोजित वित्तीय शक्ति के आलोक में विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6) 03/2016 के पृष्ठ–19/टि०।

6. इस योजना के तहत स्वीकृत राशि से Brucellosis टीकौषधि का क्रय, शीत श्रृंखला का संधारण, टीकौषधि का रख–रखाव, सिरींज–निड्ल, सहायक औषधि, Cotton, Disinfectant, Apron, Gloves, Mask, Goggles आदि का क्रय, टीकाकर्मियों का मानदेय का भुगतान/परिवहन/अनुश्रवण/प्रचार–प्रसार/पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना में ELISA Lab में Chemical इत्यादि पर व्यय किया जायेगा। साथ ही ईंधन एवं रख–रखाव मद में स्वीकृत राशि से प्रखण्ड स्तर पर टीकाकरण कार्यक्रम के संचालन, जिला स्तर पर टीकाकरण कार्यक्रम का अनुश्रवण तथा पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्था, पटना के द्वारा नमूनों के स्क्रीनिंग हेतु भ्रमण पर व्यय किया जायेगा।

8. इस योजना के तहत संचालित होने वाले टीकाकरण कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना पूर्णरूपेण जबावदेह होंगे। साथ ही योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु विस्तृत कार्यान्वयन अनुदेश विभाग की सहमति से अधीनस्थ कार्यकारियों के बीच प्रचारित करेंगे।

9. बिहार वित्त नियमावली के नियम, 210 के अनुसार निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना एक समिति गठित कर योजना के क्रियान्वयन की जाँच एवं समीक्षा कराना सुनिश्चित करेंगे।

10. राज्यादेश प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6) 03/2016 के पृष्ठ–20 तथा डायरी संख्या–54, दिनांक–21.09.2017.

11. वित्त विभाग के पत्र सं०–7355 दिनांक–05.10.2007 से संबंधित प्रावधान के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से राशि की निकासी में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन

(मधुरानी ठाकुर)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6) 03/2016–3171 /पटना–15,दिनांक–26/9/2017.

प्रतिलिपि:– अनुलग्नक की प्रति के साथ वित्त विभाग (योजना शाखा/ बजट शाखा) /योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6) 03/2016– 3171 /पटना–15,दिनांक–26/9/2017.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/9/17
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6) 03/2016– 3171 /पटना–15,दिनांक–26/9/2017.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार/ सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन/ निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना/ निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/9/17
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6) 03/2016– 3171 /पटना–15,दिनांक–26/9/2017.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ पशुपालन निदेशालय के बजट शाखा, लेखा शाखा एवं योजना शाखा, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/9/17
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6) 03/2016– 3171 /पटना–15,दिनांक–26/9/2017.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/ योजना शाखा–6 के कार्यवाह सहायक को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/9/17
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6) 03/2016– 3171 /पटना–15,दिनांक–26/9/2017.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/9/17
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6) 03/2016– 3171 /पटना–15,दिनांक–26/9/2017.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ विभागीय आई0 टी0 मैनेजर, को विभागीय बेवसाईट पर अप–लोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

25/9/17
सरकार के अपर सचिव

व्यय विवरणी

वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य स्कीम के तहत पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य के अन्तर्गत Brucellosis रोग के विरूद्ध Brucellosis टीकाकरण पर होने वाले संभावित व्यय का व्यय विवरणी :–

(राशि रु० लाख में)

क्र०	विषय शीर्ष	स्वीकृत राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार का नाम
1	2	3	4	5
1	0101.13.01 –कार्यालय व्यय	5.62	निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/ निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना/ सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार।	सभी कोषागार।
2	0101.13.02 –वाहन का ईंधन एवं रख रखाव	11.17		
3	0101.21.01 –सामग्री एवं पूर्तियाँ	325.60		
4	0101.26.01 –विज्ञापन और प्रकाशन	2.67		
5	0101.28.02 –संविदा सेवाएँ	15.00		
	योग :–	**360.06**		

(तीन करोड़ साठ लाख छः हजार) मात्र।

3171
26/9/17

25/9/17

सरकार के अपर सचिव।